सीडेपोइंटर

अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 8(55)त.शि. / 14 पार्ट।। जयपुर, दिनांक 15/12/15

निदेशक
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
जोधपुर।

विषय– स्थानांतरण नीति का ड्राफ्ट प्रस्ताव को वैबसाइट पर अपलोड करने के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निदेशानुसार स्थानांतरण नीति का ड्राफ्ट पोलिसी की प्रति संलग्न कर लेख है कि इसे निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिनांक 31.12.2015 तक सुझाव आमंत्रित करें।

प्राप्त सुझाव इकजायी कर अविलंब इस विभाग को भिजवाये।

संलग्न उपरोक्तानुसार

भवदीय

15/12/2015

(महावीर प्रसाद वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव त.शि.

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु नीति

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभः–**
   (i) यह नीति तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन की नीति कहलायेगी।
   (ii) यह नीति इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. **प्रयोज्यताः–** यह नीति पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों/निदेशालय तकनीकी शिक्षा /टी.टी.सी. एवं एल.आर.डी.सी. के सभी श्रेणी के प्रवक्ताओं (वरिष्ठ वेतनमान/वरिष्ठ प्रवक्ता, चयनित वेतनमान)/अकादमिक अधिकारी/सहायक प्रशिक्षण नियोजन अधिकारी/पुस्तकालय अध्यक्ष/शारीरिक शिक्षण अनुदेशक/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक एवं अन्य अशैक्षणिक अधिकारी एवं कर्मचारी, निदेशालय का तकनीकी स्टॉफ आदि पर लागू होगी।
3. **उद्देश्य :–**
   1) राज्य में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एवं विभाग में प्रदर्शन और प्रशासनिक दक्षता विकसित करने के लिए।
   2) कुल उपलब्ध स्टाफ/अधिकारियों/कर्मचारियों का सभी क्षेत्रों एवं संस्थाओं में आवश्यकता अनुसार, समानता एवं पारदर्शिता से अनुपातिक पदस्थापन करना।
   3) छात्रों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के हितों को दृष्टिगत एवं उनके संतोष का उच्चतम स्तर तक पहुंचाना।

4. **परिभाषाएं:–**

   इन दिशा निर्देशों में जब तक सन्दर्भ अन्यथा विनिर्दिष्ट न करें तब तकः–

   i- **ए. पी. ए. आर.:–** वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन

   ii- **विभागः–** तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान

   iii- **आश्रित पुत्र/पुत्रीः–**पुत्र तब तक आश्रित माना जायेगा जब तक कि वह स्वयं अर्थोपार्जन न करने लग जायें अथवा 25 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें (जो भी पहले हो) या किसी भी प्रकार की स्थायी विकलांगता से ग्रसित हो (ऐसे प्रकरण में कोई आयु सीमा नहीं)।

   पुत्री तब तक आश्रित मानी जायेगी जब तक कि वह स्वयं अर्थोपार्जन न करने लग जाये या उसका विवाह न हो जाये (जो भी पहले हो) अथवा ऐसी किसी स्थायी विकलांगता से ग्रसित हो जो उसे विवाह के अयोग्य बना दे। पुत्री हेतु कोई आयु सीमा नहीं है।

iv कार्मिकः– तकनीकी शिक्षा विभाग के सभी शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक अधिकारी एवं कर्मचारी।

v कार्मिक पति/पत्नीः–से अभिप्रेत है कि वह पति/पत्नी जो कि राजस्थान सरकार के किसी भी विभाग में वेतन भोगी कार्मिक है।

vi कार्यस्थलः–से अभिप्रेत है कि कोई भी वह स्थान जहाँ कि तकनीकी शिक्षा विभाग का पद अस्तित्व में है अथवा समय–समय पर सृजित किया जाता है।

vi i ठहरावः–से अभिप्रेत है कि एक ही कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, ग्रीष्म/शीतकालीन अवकाश को छोडकर, ड्यूटी से एक बार में लगातार 30 दिन से अधिक अनुपस्थिति के अतिरिक्त शेष रहा कार्यकाल।

viii स्थानान्तरण/पदस्थापन :–से अभिप्रेत है कि कार्मिक का एक कार्यस्थल से दूसरे कार्यस्थल पर नवीन पद का कार्यग्रहण अथवा परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कार्यग्रहण करने हेतु पदस्थापन।

ix स्थानान्तरण/पदस्थापन गणना अंकः– परिछेद '09' के अनुसार स्वयं की प्रार्थना के आधार पर स्थानान्तरण से सम्बधित विभिन्न कारकों के लिये प्रदत्त अंको का कुल योग।

x स्थानान्तण/पदस्थापन परामर्शदात्री समितिः– परिछेद 06 के अनुसार निदेशक तकनीकी शिक्षा द्वारा गठित कमेटी।

xi कार्यकालः– कार्मिको के विभिन्न वर्गो/श्रेणियों हेतु विभिन्न कार्यस्थलों, जो कि दूसरे जिलो में स्थित है, के लिये परिभाषित विशिष्ठ कार्यकाल का सतत् ठहराव जिसके पश्चात् कार्मिक स्थानान्तरण योग्य हो जायें।

xii सेवाकालः– से अभिप्रेत है कि वह कार्यकाल जिसमें की कार्मिक, विभाग में नियमित आधार पर एक पद का प्रभार ग्रहण रखता है।

xiii ईच्छित कार्यस्थलः–वह कार्यस्थल जहाँ कि कार्मिक पदस्थापन का इच्छुक है। यह आवश्यक नहीं है कि वह कार्यस्थल गृहनगर ही हों।

5. स्थानान्तरण /पदस्थापन के प्रकारः–

क्र.सं.	स्थानान्तरण/पदस्थापन का प्रकार	कारण
1	अ. विभाग में प्रथम पदस्थापन	प्रशासनिक
2	ब. पदोन्नति पर पदस्थापन	प्रशासनिक
3	स. अनिवार्य स्थानान्तरण	प्रशासनिक
4	द. समानीकरण के कारण स्थानान्तरण/पदस्थापन	प्रशासनिक
5	ई. स्वंय के प्रार्थना पत्र पर स्थानान्तरण/पदस्थापन	प्रार्थना पर

6. **स्थानान्तरण / पदस्थापन परामर्शदात्री समिति:–** निदेशक तकनीकी शिक्षा द्वारा गठित कमेटी।

नोट :– कम से कम दो सदस्यों का समिति की बैठकों में उपस्थित रहना अनिवार्य है।

7. **स्थानान्तरण / पदस्थापन समय सारणी:**

क्र.सं.	स्थानन्तरण / पदस्थापन का प्रकार	समय
1	अ. विभाग में प्रथम पदस्थापन	सक्षम प्राधिकारी से चयन सूची प्राप्त होने के 30 दिवस में
2	ब. पदोन्नति पर पदस्थापन	पदोन्नति ओदश के 30 दिवस के भीतर
3	स. अनिवार्य स्थानान्तरण	1 जून से 31 जुलाई तक
4	द. समानीकरण के कारण स्थानान्तरण / पदस्थापन	1 जून से 31 जुलाई तक
5	ई. स्वंय के प्रार्थना पत्र पर स्थानान्तरण / पदस्थापन	1 जून से 31 जुलाई तक

8. **स्थानान्तरण / पदस्थापन के लिए स्थान / जिलो का वर्गीकरण:**

क्र.सं.	स्थान / जिले
अ.	जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर
ब.	टोंक, भीलवाड़ा, बून्दी, नागौर, पाली, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, चूरू, दौसा, झुन्झुनू, सीकर, अलवर
स.	धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, चित्तोडगढ, राजसमन्द,
द.	बाडमेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूगरपुर, प्रतापगढ, बांरा, झालावाड

9. **स्थानान्तरण / पदस्थापन गणना (टी.पी.सी.) :**

अधिकारी / कर्मचारियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन के लिए समुचित कारकों की गणना निम्नानुसार की जायेगी :

क्र. सं.	घटक	बिन्दु
	कठिन / बहुत कठिन कार्यस्थल एवं सेवा कार्यकाल	
1	परिशिष्ट–8 में वर्णित कार्यस्थलों के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 मई तक ठहराव • दिनों के ठहराव को अंशों में भी गिना जायेगा। • प्रतिनियुक्ति / कार्यव्यवस्था / न्यायिक प्रकरण आदि की गणना इस हेतु की जायेगी • किसी भी कारण से अनुपस्थिति (लगातार 30 दिवस या अधिक की अनुपस्थिति) की इस हेतु गणना की	अ,ब,स, एवं द प्रकार के स्थानों पर प्रतिवर्ष के लिए कमश: 5,3,2 एवं 1 अंक

	जायेगी।	
2	'द' श्रेणी के स्टेशनों पर निरंतरता में 3 वर्ष के लिए ठहराव पूर्ण करने पर (ये अंक द श्रेणी स्टेशनों पर ठहराव पूर्ण करने के पश्चात कर्मचारी के अनुरोध पर स्थानान्तरण के लिए प्रदान किये जायेगें) • किसी भी कारण से अनुपस्थिति (लेकिन 30 दिवस या उससे अधिक के लगातार अनुपस्थिति) की अवधि भी इस उद्धेश्य के लिए गिनती की जायेगी।	+55
3	प्रत्येक वर्ष की 31 मई को कुल सेवा की अवधि, स्पष्टीकरण: • किसी भी कारण से अनुपस्थिति की अवधि भी इस उद्धेश्य के लिए गणना की जायेगी। • दिवसों का ठहराव की भी अंश में गणना की जायेगी। • अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति/कार्य व्यवस्था/ की अविध भी इस उद्धेश्य के लिए गणना की जायेगी।	प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 0.5 अंक
	कठिनाईयॉ	
4	विशेष योग्य जन (अनुबन्ध 2 के अनुसार)	+40 (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)
5	31 मई को दो वर्ष से कम अवधि के अन्दर सेवानिवृत्ति/नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु (31 मई को दो वर्ष के भीतर पति/पत्नी, स्वंय के पुत्र/पुत्री की मृत्यु/चिकित्सा आधार पर) (अनुबन्ध 1 के अनुसार) एक से अधिक कारणों के लिए भी अधिकारी/कर्मचारी को अधिकतम +40 अंक ही देय होंगे।	+40–अधिकतम (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)
6	विधवा महिला	+20
7	कानूनी रूप से तलाकशुदा महिला	+10
8	अविवाहित महिला	+5
9	40 वर्ष तक के अधिकारी एवं कर्मचारी (31 मार्च तक) यदि उन्होंने श्रेणी 'स' एवं 'द' के स्टेशनों पर एक भी कार्यकाल पूर्ण नहीं किया है (किसी भी पद पर पूर्ण सेवा काल के दौरान)	हॉ/ना
10	समान स्टेशन पर कार्यरत पति पत्नी (राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारी/कर्मचारी)	+15
11	इच्छित स्थान अथवा 100 किलोमीटर की दूरी में कार्यरत पति पत्नी (राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारी/कर्मचारी)	+15

12	गर्भवती महिला (31 मार्च को अथवा 31 जुलाई तक प्रसूति अवकाश पर)	+40 (गर्भावस्था / प्रसूति अवकाश की स्थिति में ही देय)
	मुख्य निष्पादन संकेतक परिणाम, अकादमिक प्रदर्शन संकेतक (एपीआई), एसीआर	
13	प्राविधिक शिक्षा मण्डल के परीक्षा परिणाम एवं प्लेसमेंट। स्पष्टीकरण: • प्रधानाचार्य के लिए – प्रति वर्ष संस्थान के कुल परीक्षा परिणाम एवं प्लेसमेंट के <30%, 30-50%, 51-70%, 71-90% एवं >90% के लिए क्रमशः -10, -05, +02, +05 एवं +10 अंक • विभागाध्यक्ष एवं समकक्ष के लिए – प्रति वर्ष विभाग के कुल परीक्षा परिणाम एवं प्लेसमेंट के <30%, 30-50%, 51-70%, 71-90% एवं >90% के लिए क्रमशः -10, -05, +02, +05 एवं +10 अंक • प्रधानाचार्य एवं विभागाध्यक्ष को शैक्षणिक मानते हुए उनके परिणाम की गणना पृथक से की जावेगी। • एटीपीओ / सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) के लिए – प्रति वर्ष प्लेसमेंट के <30%, 30-50%, 51-70%, 71-90% एवं >90% के लिए क्रमशः -10, -05, +02, +05 एवं +10 अंक गैर शैक्षणिक / गैर शैक्षणिक राजपत्रित अधिकारी / कर्मचारियों सहित निदेशालय तकनीकी शिक्षा के अधीन कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों के लिए मुख्य निष्पादन संकेतक का निर्धारण निदेशक तकनीकी शिक्षा द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा	शैक्षणिक संकाय हेतु – प्रत्येक विषय के लिए -5 (यदि 1वर्ष में किसी विशेष विषय में परिणाम 30% से कम) – प्रत्येक विषय के लिए -2 (यदि 1 वर्ष में किसी विशेष विषय में परिणाम 30–50%के मध्य) – प्रत्येक वर्ष के लिए +5 (यदि औसत परिणाम सभी विषयों में 90 एवं 100% के मध्य) – प्रत्येक वर्ष के लिए +2 (यदि औसत परिणाम सभी विषयों में 70 एवं 90% के मध्य)
14	वर्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट / एसीआर	प्रत्येक औसत से नीचें की ग्रेडिंग पर -5 प्रत्येक उत्कृष्ट ग्रेडिग पर +5
15	राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अधिकारी / कर्मचारी	प्रत्येक पुरस्कार के लिए +10
16	राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त अधिकारी / कर्मचारी	प्रत्येक पुरस्कार के लिए +5
17	एआईसीटीई के नोटिफिकेशन दिनांक 8.11.2012 की श्रेणी III के अनुसार शैक्षणिक निष्पादक संकेतक (ए.पी. आई.)	(एपीआई अंक / 400)x40

	स्थानान्तरण / पदस्थापन गणना (टीपीसी)	सभी बिन्दुओं का कुल स्कोर

10 स्थानान्तरण / पदस्थापन के लिए प्रकियाः

1. प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी के लिए पहली बार टीपीसी अंक प्रपत्र भरना अनिवार्य होगा। निदेशक तकनीक शिक्षा इस नीति की अधिसूचना की तारीख से 15 दिवस के भीतर टीपीसी प्रपत्र को अपलोड करेंगे। निदेशक तकनीकी शिक्षा भरे हुए प्रपत्र प्राप्त होने के 60 दिवस के अन्दर सभी अधिकारी / कर्मचारियों के टीपीसी की सूची तैयार करेगें। निदेशालय की वैब–साईट पर सभी अधिकारी / कर्मचारियों की टीपीसी की सूची 1 मई तक अपलोड की जायेगी। अधिकारी / कर्मचारी उपरोक्त टीपीसी की सूची में संशोधन / आपत्ती हेतु 7 मई तक प्रमाण सहित आवेदन कर सकेगे। अंतिम टीपीसी निदेशालय की वेबसाई पर दिनांक 30 मई तक अपलोड कर दी जायेगी जो कि निदेशक तकनीकी शिक्षा द्वारा गठित समिति से अनुमोदित होगी।
2. आगामी वर्षों के लिए टीपीसी को अद्यतन करने हेतु केवल 1 अप्रेल से 15 अप्रेल तक विचार किया जायेगा और अंतिम टीपीसी को सुधार और आपत्तीयों के निराकरण के पश्चात दिनांक 30 मई तक अपलोड किया जायेगा जो कि निदेशक तकनीकी शिक्षा द्वारा गठित समिति से अनुमोदित होगी।
3. स्थानान्तरण / पदस्थापन हेतु निम्न प्रकिया की पालना की जायेगीः–

क्र.सं.	स्थानान्तरण / पदस्थापन के प्रकार	समय
1	अ– विभाग में प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापन।	सक्षम प्राधिकारी से चयन सूची प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर • स एवं द श्रेणी के अन्तर्गत 3 स्थानों पर पदस्थापन हेतु विकल्प / इच्छित स्थान हेतु प्रार्थना पत्र दिये जायेंगे। • धारा 9 के अन्तर्गत कठिन / बहुत कठिन स्थानों पर कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी, श्रेणी अ एवं ब में दिये गये विकल्पों पर निदेशक तकनीकी शिक्षा द्वारा गठित समिति, सक्षम अधिकारी से प्राप्त चयन सूची के आधार पर प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर विचार करेगी। • निदेशालय द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों के लिए समानीकरण के आधार पर पदस्थापन हेतु प्रत्येक वर्ष 30 जून तक रिक्त स्थानों की सूची विभागीय वैब साईट पर अपलोड की जावेगी। • अधिकारी / कर्मचारियों के चयन के लिए उनकी योग्यता के अनुसार श्रेणी 'द' एवं

		'स' स्थानों पर पदस्थापन हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। यद्यपि कठिन/बहुत कठिन स्थानों की कठिनाईयों के अनुसार वरीयता द,स,ब एवं अ स्थानों में दी जायेगी। • निदेशक तकनीकी शिक्षा अधिकारी/कर्मचारियों की योग्यता एवं कठिनाइयों के अंकों के अनुसार 21 दिवस के भीतर पदस्थापन हेतु संकलित सूची का प्रस्ताव बना कर निदेशक तकनीकी शिक्षा द्वारा गठित समिति को भिजवायेंगे। • निदेशक तकनीकी शिक्षा द्वारा गठित समिति उपरोक्त सूची पर अंतिम निर्णय लेगी। समिति के अनुमोदन पश्चात 30 दिवस के भीतर स्थानान्तरण/पदस्थापन के आदेश जारी किये जायेगें।
2	ब– पदोन्नति पर पदस्थापन	पदोन्नति आदेश के 30 दिवस के भीतर • सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त पदोन्नति सूची जारी होने के 15 दिवस के भीतर निदेशक तकनीकी शिक्षा द्वारा श्रेणी द, स, ब एवं अ के अन्तर्गत तीन स्थानों के लिए प्रस्तुत विकल्प पर विचार किया जायेगा। • निदेशालय द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों के लिए समानीकरण के आधार पर रिक्त स्थानों की सूची विभागीय वैब साईट पर अपलोड की जावेगी। • निदेशक तकनीकी शिक्षा, अधिकारी/कर्मचारियों की संकलित सूची 21 दिवस के भीतर पदस्थापन हेतु का टीपीसी (धारा 9) की प्राथमिकता के अनुसार प्रस्ताव बना कर पदस्थापन हेतु गठित समिति को भिजवायेगे। • निदेशक तकनीकी शिक्षा द्वारा गठित समिति उपरोक्त सूची पर अंतिम निर्णय लेगी। समिति के अनुमोदन पश्चात 30 दिवस के भीतर स्थानान्तरण/पदस्थापन के आदेश जारी किये जायेगें।

3	स– अनिवार्य स्थानान्तरणः • खण्ड 9 (12) के अन्तर्गत गत वर्ष -10 अंक होने की स्थिति में प्रधानाचार्य अथवा समकक्ष (अथवा कार्य व्यवस्थार्थ) / विभागाध्यक्ष अथवा समकक्ष (अथवा कार्यव्यवस्थार्थ) / एटीपीओ / शिक्षक एवं अन्य अधिकारी / कर्मचारी का स्थानान्तरण / पदस्थापन स्टेशन 'द' पर किया जायेगा। • खण्ड 9 (13) के अन्तर्गत गत वर्ष -05 अंक होने की स्थिति में प्रधानाचार्य अथवा समकक्ष (अथवा कार्य व्यवस्थार्थ) / विभागाध्यक्ष अथवा समकक्ष (अथवा कार्यव्यवस्थार्थ) / एटीपीओ / शिक्षक एवं अन्य अधिकारी / कर्मचारी का स्थानान्तरण / पदस्थापन स्टेशन 'स' पर किया जायेगा। • कठिन एवं बहुत कठिन स्थानों पर कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों का स्थानान्तरण / पदस्थापन उपरोक्त कारणों से किया जा सकता है। • 40 वर्ष तक के अधिकारी एवं कर्मचारी (31 मार्च तक) यदि उन्होंने श्रेणी 'स' एवं 'द' के स्टेशनों पर एक भी कार्यकाल पूर्ण नहीं किया है (किसी भी पद पर पूर्ण सेवा काल के	1 जून से 31 जुलाई के मध्य • निदेशालय तकनीकी शिक्षा सभी अधिकारी / कर्मचारी के अनिवार्य स्थानान्तरण के प्रस्ताव प्रत्येक वर्ष 1 जून को 'द' एवं 'स' स्थानों के लिए स्थानान्तरण / पदस्थापन विचार हेतु गठित कमेटी को भिजवायेंगे। • इस श्रेणी के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को अंतिम आदेश जारी किये जायेगें।

	दौरान) श्रेणी 'स' एवं 'द' के स्थानों पर विचार किया जायेगा।	
4	द– समानीकरण के अन्तर्गत स्थानान्तरण / पदस्थापन विभिन्न पदों हेतु समानीकरण प्रकिया अपनाते हुए निदेशक निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित करेंगे:– • महाविद्यालय में स्वीकृत पदों में कम ये कम 50 प्रतिशत पद विभागाध्यक्ष एवं प्रधानाचर्यों से जोकि पे बेण्ड 4 के अधिकारी होंगे से भरे जायेंगे। • कॉलेज में कम से कम 1 एटीपीओ / एडीटी का पदस्थापन किया जायेगी। एटीपीओ / एडीटी का चार्ज एजीपी 8000 / पी बी 4 के अधिकारियों को दिया जायेगा। • प्रत्येक महाविद्यालय में कम से कम एक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा। • प्रत्येक स्थान / जिला में कम से कम एक शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक नियुक्त किया जायेगा। • कुल रिक्त पदों के अलावा किया गया पदस्थापन अतिरिक्त पदस्थापन माना जायेगा। अन्य विषय / शाखा में किया गया पदस्थापन भी अतिरिक्त पदस्थापन माना जायेगा। • एक स्थान पर तीन वर्ष तक पदस्थापित रहने वाले अधिकारी / कर्मचारियो को टीपीसी के कम में समानीकरण के तहत	1 जून से 31 जुलाई के मध्य • निदेशालय तकनीकी शिक्षा के सभी पदों हेतु अधिकारी / कर्मचारियों के प्रस्ताव स्पष्ट रिक्ति, अधिशेष अधिकारी कर्मचारी (नाम सहित), अनिवार्य स्थानान्तरण के कारण रिक्त पद एवं समानीकरण के पश्चात प्रभावी रिक्तियों प्रस्ताव प्रत्येक वर्ष 1 जून को स्थानान्तरण / पदस्थापन विचार हेतु गठित कमेटी को भिजवायेंगे। • निदेशक तकनीकी शिक्षा प्रत्येक वर्ष 1 जून तक स्वैच्छिक स्थानान्तरण / पदस्थापन हेतु प्रपत्र विभागीय वैब–साईट पर अपलोड करायेगे। • निदेशक तकनीकी शिक्षा द्वारा गठित समिति समानीकरण के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण / पदस्थापन के प्रस्ताव प्रत्येक वर्ष 10 जून तक पूर्ण करते हुये निर्णित करेगी। • समानीकरण के पश्चात एवं अनिवार्य स्थानान्तरण / पदस्थापन की अंतिम सूची निदेशालय की वैब साईट पर प्रत्येक वर्ष 11 जून तक अप–लोड की जायेगी। • आवेदनकर्ता इच्छित स्थान के तीन विकल्प सहित प्रत्येक वर्ष 15 जून तक निर्धारित प्रपत्र में ऑन–लाईन आवेदन कर सकेगा। आवेदनकर्ता को 20 जून तक निदेशालय तकनीकी शिक्षा में हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी भिजवानी होगी। • अनिवार्य स्थानान्तरण / पदस्थापन, अधिशेष अधिकारी / कर्मचारी, समानीकरण के अन्तर्गत स्थानान्तरण / पदस्थापन एवं स्वैच्छिक स्थानान्तरण / पदस्थापन के प्रस्ताव निदेशालय तकनीकी शिक्षा द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत 15 जुलाई तक स्थानान्तरण / पदस्थापन हेतु गठित समिति को प्रस्तुत किये जायेगें।

	पदस्थापन / स्थानान्तरण के लिए विचार किया जायेगा। • समानीकरण के तहत एक अधिकारी / कर्मचारी स्थानान्तरण हेतु निवेदन कर सकेगा। • समानीकरण के तहत किये गये इच्छित स्थानान्तरण को आरटी–आरटी–आरक्यू या आरटी–एनआरटी–आरक्यू स्थानान्तण कहा जायेगा। इस प्रकार के स्थानान्तरण के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। • समानीकरण के तहत किये गये प्रशासनिक स्थानान्तरण को आरटी–आरटी–एडी स्थानान्तण कहा जायेगा। इस प्रकार के स्थानान्तरण के लिए यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय होगा।	• निदेशक तकनीकी शिक्षा द्वारा गठित समिति **स्थानान्तरण / पदस्थापन** के उक्त प्रस्तावों पर 25 जुलाई तक अंतिम निर्णय करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31 जुलाई तक स्थानान्तरण / पदस्थापन के आदेश प्रसारित कर वैबसाईट पर अपलोड किये जायेगे।
	ई– स्वैच्छिक स्थानान्तरण / पदस्थापन • जिन कर्मचारियों का एक स्थान पर तीन वर्ष से अधिक का ठहराव होगा उन कर्मचारियों के स्वैच्छिक स्थानान्तरण / पदस्थापन पर उनके टीपीसी के आधार पर विचार किया जायेगा। • किसी स्थान विशेष पर अधिशेष कर्मचारी / अधिकारी उस स्थान विशेष पर उनका तीन वर्ष से कम ठहराव होने पर भी वे स्वैच्छिक स्थानान्तरण / पदस्थापन हेतु आवेदन कर सकेगे।	

	• इस प्रकार के स्थानान्तरण हेतु किसी प्रकार को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।	

11. स्थानान्तरण/पदस्थापन, कार्यमुक्त एवं कार्य ग्रहण के आदेश जारी करनाः-

स्थानान्तरण/पदस्थापन से संबंधित आदेश इस नीति के खण्ड 7 के अनुसार समय सीमा के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये जायेगे। स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों में कार्यमुक्ति दिनांक एवं कार्य ग्रहण से सबंधित निर्देश उल्लेखित किये जायेगे। उपरोक्त सभी आदेश निदेशालय तकनीकी शिक्षा की वैबसाईट पर उपलबध रहेगें

12. स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु वैब-पोर्टलः

निदेशालय तकनीकी शिक्षा द्वारा स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु एक समर्पित वैब-पोर्टल निर्धारित समयावधि में विकसित किया जायेगा।

13. संशोधनः

विभाग के हित में राज्य सरकार किसी भी समय इस नीति में संशोधन कर सकती है।

14. अपीलः

1. स्थानान्तरण आदेशों के विरूद्ध अपील प्रमुख शासन सचिव तकनीकी शिक्षा को की जायेगी। एसी अपील स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर की जा सकेगी। ऐसी सभी अपीलों का अपील प्रात्ति की तारीख से 30 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा निस्तारण किया जायेगा।
2. यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को स्थानान्तरण/पदस्थापन पर शिकायत है तो वह अन्य कानूनी उपचार प्राप्त करने से पूर्व स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में अपील हेतु उपलब्ध सभी प्रावधानों का उपयोग करेगा।

15 राज्य सरकार के अधिकारः-

1. <u>संशोधन</u> :-

राज्य सरकार स्वंय प्रेरणा से स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आवेदन पर उसकी नियमितता, वैद्यता व औचित्य पर निर्णय कर सकती है। किसी भी मामले में राज्य सरकार को यह प्रदर्शित होता है कि स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रकिया में संशोधन, निरस्त या पूनर्विचार किया जाना है तो राज्य सरकार द्वारा उस पर निर्णय लिया जायेगा तथा इस संबंध में समुचित आदेश संयुक्त शासन सचिव तकनीकी शिक्षा द्वारा प्रसारित किये जायेंगे।

2. <u>गंभीर शिकायतें</u> :–

राज्य सरकार किसी अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध गंभीर शिकायत प्राप्त होने पर प्रारंभिक जॉच के पश्चात उसका स्थानान्तरण / पदस्थापन कर सकेगी। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुये समुचित आदेश प्रसारित किये जायेंगे।

3. <u>झूठी सूचना, नियमों का उल्लंघन</u> :–

अधिकारी / कर्मचारी जिनके द्वारा झूठी सूचना, फर्जी प्रमाण पत्र दिया गया है तथा वह अधिकारी जिसके द्वारा वे प्रमाण पत्र प्रमाणित किये गये है वे राजस्थान सेवा नियमों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही के भागीदार होगें साथ ही उनके विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

परिशिष्ट–1

चिकित्सकीय आधार :–

अ. चिकित्सकीय आधार पर स्थानान्तरण/पदस्थापन के लिए मान्य रोगों के प्रकारः–

1. कैंसर
2. पेरेलेटिक स्ट्रोक
3. रेनल फेलियर
4. क्रोनरी आर्टरी डीजीज
5. थेलीसीमिया
6. पार्कीन्सनस डिजीज
7. मोटर न्यूरान डिजीज
8. सरकार/क्षेत्रीय चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड/परिषद द्वारा परिभाषित पुरानी बीमारियां।

ब. **<u>शारीरिक रूप से विकलांग</u>** :–

सरकार / क्षेत्रीय चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड / परिषद द्वारा परिभाषित

क्र.सं.	प्रकरण की गंभीरता (अ एवं ब)=x 1से 10 के पैमाने पर	अधिकारी / कर्मचारी	अधिकारी / कर्मचारी की पति / पत्नी, आश्रित पुत्र व पुत्री
1	$7 \le x \le 10$	40	20
2	$5 \le x < 7$	30	15
3	$3 \le x < 5$	20	10
4	$1 \le x < 3$	5	2.5

नोटः– बीमारियों की गंभीरता का निर्धारण चिकित्सा नियमों के अनुसार राजकीय चिकित्सालय जयपुर के चिकित्सा बोर्ड / परिषद द्वारा किया जायेगा।

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

स्थानान्तरण हेतु प्रार्थनापत्र

पार्ट 'अ'

1. प्रार्थना पत्र का प्रकार (सही विकल्प को चुने)	अ ड्यू (due) स्थानान्तरण ब पारस्परिक स्थानान्तरण स स्वंय की प्रार्थना पर स्थानान्तरण द चिकित्सा आधार पर स्थानान्तरण इ पति / पत्नी अधिकारी / कर्मचारी का स्थानान्तरण
2 अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम (बडे अक्षरो में)	
3 अधिकारी / कर्मचारी का पदनाम	
4. वर्तमान पदस्थापन (पदस्थापन का स्थान सहित)	
5. वर्तमान पदस्थापन की श्रेणी	
6. वर्तमान पदस्थापन पर ठहराव की अवधि	
7. वर्तमान पदस्थापन स्थान पर अनुपस्थित रहने की अवधि	
8. अवकाश (पूर्ण विवरण सहित)	
9. संलग्नक (पूर्ण विवरण सहित)	
10. अनुपस्थित रहने के अन्य कारण जैसेः– प्रशिक्षण / प्रतिनियुक्ति / भ्रमण / अनधिकृत अनुपस्थिति (पूर्ण विवरण सहित)	
11. जन्म दिनांक तथा आयु	
12. सेवा निवृत्ति की दिनांक	
13. अन्य विचारणीय बिन्दु	

14. पूर्व पदस्थापन का विवरण

क्र.सं.	पदनाम पदस्थापन सहित	कब से	कब तक	स्थान की श्रेणी

15 नये पदस्थापन हेतु विकल्प

क्र.सं.	इच्छित स्थान हेतु विकल्प	पदनाम पदस्थापन सहित	कॉलम 2 में दर्शायी गई स्थानों की श्रेणी

संलग्नकों की सूचीः–

1.........................
2.........................
3.........................
4.........................

मै शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि स्थानान्तरण हेतु मैंने अन्य कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। यदि उपरोक्त जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध की जानी वाले अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए मैं स्वंय जिम्मेदार रहूँगा।

आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक

पार्ट– 'बी'

संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी की सिफारिश :–

यह प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षक द्वारा दी गई सूचना की जॉच कार्यालय रिकार्ड से कर ली गई है तथा सही पाई गई है। आवेदक द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र वास्तविक है/नहीं है।

अभिशंषा की जाती है/नहीं की जाती है।

कारण :–

संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी
नाम मुहर सहित (बडे अक्षरों में)

पार्ट – 'सी'

विचार समिति की अभिशंषा :–

विस्थापन अंक	स्थानान्तरण अंक

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र का स्थानान्तरण नीति तथा दिशा निर्देशों के तहत परीक्षण कर लिया गया है। प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से राज्य सरकार/विभाग की स्थानान्तरण नीति के अनुरूप है। टिप्पणी निम्नानुसार है:–

स्थानान्तरण हेतु अभिशंषा की जाती है/नहीं की जाती है।

स्थानान्तरण के स्थान हेतु अभिशंषा

निदेशक
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
जोधपुर

परिशिष्ट–4

हार्ड स्टेशनों की सूचीः–

1. बागीदौरा
2. बांसवाड़ा
3. बाड़मेर
4. धौलपुर
5. डूंगरपुर
6. जैसलमेर
7. जालौर
8. करौली
9. केलवाड़ा
10. प्रतापगढ़